कृषि विभाग

जनपद–गौतमबुद्धनगर

कृषि सम्बंधी आधारभूत विवरण, जनपद– गौतमबुद्धनगर

1. जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	–	125422 हेक्टेअर
2. शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	–	53143 हेक्टेअर
3. एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	–	33225 हेक्टेअर
4. सकल बोया गया क्षेत्रफल	–	86368 हेक्टेअर
(अ)रबी का क्षेत्रफल (मुख्य फसलें गेंहू, जौं, राई/सरसों)	–	43124 हेक्टेअर
(ब)खरीफ का क्षेत्रफल (मुख्य फसलें धान एवं अरहर)	–	42530 हेक्टेअर
(स) जायद का क्षेत्रफल (मुख्य फसलें उर्द एवं मूंग)	–	677 हेक्टेअर
5. शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	–	53106 हेक्टेअर
6. विभिन्न सिंचाई साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल	–	–
(अ) नहरों द्वारा	–	13883 हेक्टेअर
(ब) राजकीय नलकुप द्वारा	–	2975 हेक्टेअर
(स) निजी नलकुप द्वारा	–	34956 हेक्टेअर
(द) अन्य	–	1292 हेक्टेअर
7. फसल सघनता	–	163 प्रतिशत
8. नहरों की लम्बाई	–	3856 कि0मी0
9.. राजकीय नलकूप	–	86 (सं0)
10. निजी नलकूप	–	24959 (सं0)

कृषि की चुनौतियाँः—

1. भूमि की उर्वरा शक्ति में निरन्तर कमी हो रही है।
2. भूमिगत जलस्तर में निरन्तर गिरावट हो रही है।
3. खेती की बढ़ती लागत ।
4. जलवायु परिवर्तन।
5. जनपद में कृषि भूमि का आवासीय एवं व्यवसायिक भू उपयोग में परिर्वतन होने के कारण कृषि भूमि में निरन्तर कमी होना।

जनपद में स्थित संस्थावार कृषि निवेश वितरण केन्द्र

कृषि	–	04 राजकीय कृषि निवेष वितरण केन्द्र (प्रत्येक विकास खण्ड पर)
कृषि रक्षा अनुभाग	–	04 राजकीय कृषि रक्षा इकाई (प्रत्येक विकास खण्ड पर)
सहकारिता	–	33 साधन सहकारी समितियां
यू0पी0 एग्रो	–	01 कृषि निवेश केन्द्र
पी0सी0एफ0	–	03 कृषि निवेश केन्द्र

कृषि विभाग की मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम

1–प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनाः– (अ.) प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं रोगों के कारण किसी भी संसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को निम्नतम प्रीमियम दर पर बीमा कवरेज द्वारा वित्तीय सहायता।

(ब). **जल प्लावन, भू संखलन एवं ओलावृष्टि प्रभावित फसल की क्षतिपूर्ति का आंकलन व्यक्तिगत आधार से** एंव अन्य क्षतियों हेतु बीमा इकाई ग्राम पंचायत है।

(स) प्रीमियम दरेंः– अधिकतम प्रीमियम दर खरीफ मौसम हेतु 2 प्रतिशत, रबी मौसम हेतु 1.5 प्रतिशत तथा उद्यान एवं बागवानी फसल हेतु 5 प्रतिशत है।

(द) कवर किये जाने वाले किसानः– (1) ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है किन्तु अऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक आधार पर है।

क्र0 सं0	वर्ष	क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में अधिकृत बीमा कम्पनी	बीमित कृषकों की सं0	बीमित क्षे0 (है0 में)	बीमित धनराशि (लाख रू0 में)	प्रीमियम लाख रू0 में				क्षतिपूर्ति की धनराशि	
						कृषक अंश	केन्द्र द्वारा अनुदान	राज्य द्वारा अनुदान	कुल जमा प्रीमियम	लाभान्वित कृषक	धनराशि
1	खरीफ–16	एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी	5875	4904.36	2392.39	47.85	11.96	11.96	71.77	1545	28.94
2	रबी 2016–17	एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी	1200	97500	544.79	8.17	2.72	2.72	13.61	–	–

- **2– मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाः–** इस योजनान्तर्गत कृषकों की मिट्टी की निःशुल्क जाँच कराकर कृषकों को उनकी फसलों के अनुरूप सन्तुलित उवर्रकों के उपयोग की संस्तुति हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। इसमें जनपद के समस्त कृषकों को तीन वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना में अब तक विश्लेषित कराये गये मृदा नमूनों एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड का विवरण निम्नवत् हैः–

क0 सं0	जनपद का नाम	कुल वार्षिक लक्ष्य	ग्रहित नमूनों की संख्या	विश्लेषित मृदा नमूनों की संख्या	मृदा स्वास्थ्य कार्ड की संख्या
1	गौतमबुद्धनगर	20506	20507	20171	33560

- **3–पारदर्शी किसान सेवा योजनाः–** योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु समस्त कृषकों का निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण कर पंजीकृत कृषकों को ही विभिन्न योजनाओं का डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभ दिया जाना है। जनपद में वर्तमान तक 54207 कृषकों का पंजीकरण हो चुका है। वर्ष 2017–18 हेतु कृषक पंजीकरण का कुल लक्ष्य 64896 है।

क0 सं0	जनपद का नाम	योजनाओं की संख्या	वार्षिक कृषकों के ऑनलाइन पंजीकरण का लक्ष्य	जुलाई, 2017 में कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण	माह तक कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण	कृषकों की संख्या जिनको योजना का ऑनलाइन लाभ माह तक दिया गया	पंजीकृत कृषक प्रतिशत	लाभान्वित कृषक प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	गौतमबुद्धनगर	12	64896	623	54207	6715	83.53	11.88	-

4. सोलर फोटोवोल्टिइक सिंचाई पम्प योजना:– खेती की लागत घटाने हेतु शून्य व्यय पर सिंचाई हेतु सफलतम योजना है। यह योजना कृषकों के मध्य काफी लोकप्रिय हो रही है। साथ ही यह तकनीकी प्रदूषण रहित व इको फ्रेंडली है। वर्ष 2016–17 में 16 सोलर पम्पों (3 एच0पी0)की स्थापना कृषकों के यहां की गई है। सोलर पम्प पर अनुदान निम्नवत् है–

क्र0 सं0	सोलर पम्प की क्षमता	कुल दर	देय अनुदान	कृषक अंश
1	2 एच0पी0 (डी0सी)	199000	175950	23050
2	3 एच0पी0 (डी0सी)	337400	273330	64070
3	3 एच0पी0 (ए0सी)	310500	236925	73575
4	5 एच0पी0 (ए0सी)	451175	252235	198940

5. उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग– उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग से समय, श्रम की बचत होती है व खेती की लागत घटती है तथा फसल उत्पादकता में वृद्वि होती है। मुख्यतः कृषकों को रोटावेटर, पम्प सेट, सीड ड्रील व मल्टीक्रॉप थ्रेसर पर अनुदान उपलब्ध कराया जाना। अनुदान की अधिकतम दर प्रति कृषि यन्त्र, रोटावेटर पर रू0 35,000/, पम्प सेट पर रू0 10,000/ , सीड ड्रील पर रू0 12,000/, मल्टीक्रॉप थ्रेसर पर रू0 40,000/ है।

वर्ष 2016–17 में कृषि यन्त्रीकरण योजना के अन्तर्गत 35 रोटावेटर, 02 मल्टीक्रॉप थ्रेसर, 07 सीड ड्रील वितरण किया गया है।

6. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत जनपद की जिला सिंचाई योजना तैयार की गई है। डी0आई0पी0 तैयार करने हेतु प्राप्त 9,70,000 रू0 धनराशि के सापेक्ष 77,128 रू0 की धनराशि व्यय कर प्रदेश में न्यूनतम लागत पर जिला सिंचाई योजना तैयार की गई। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैः–

1. खेत में जल की पहुँच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत कृषि भूमि को बढाना।
2. उचित तकनीकी और पद्धतियों के माध्यम से जल बचत को बढ़ावा देना व जल के बेहतर उपयोग के लिए जल संसाधनों का दक्ष उपयोग(अधिक फसल प्रति बूंद/पर ड्रॉप मॉर क्रॉप)।
3. जल संचयन, जल प्रबन्धन और किसानों के लिए फसल संयोजन तथा जमीनी स्तर के क्षेत्र कर्मियों से संबंधित विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

जनपद की 05 वर्ष हेतु तैयार जिला सिंचाई योजना निम्नवत् हैः–

(धनराशि लाख रू0 में)

S.No.	Component	Concerned Department	Name of Block				
			Bisrakh	Dadri	Daunkaur	Jewar	Total
1	Establishment of Solar Pump for irrigation under non conventional energy management Scheme	Agriculture	29.74	313.33	313.34	313.34	969.75
2	Integrated water management practices	Agriculture	11.60	11.60	11.60	11.60	46.40
3	Soil & Water conservation (NABARD)	Soil & Water conservation	-	53.78	75.20	213.12	342.10
4	Soil & Water conservation (Bhoomi Saina)	Soil & Water conservation	-	80.64	112.78	396.48	589.90
5	Per drop more crop(Micro Irrigation)	Horticulture	12.28	25.03	25.03	62.84	125.18
6	Per drop more crop(Suplimentary Water Management)	Minor Irrigation	-	-	-	171.84	171.84
7	Rennovated WHS	DRDA	40.25	113.85	38.70	151.75	344.55
6	Major Irrigation - Silt Silitification	Irrigation Department	-	16.50	67.50	66.00	150.00
Total			93.87	614.73	644.15	1,386.97	2,739.72

7. उन्नत बीज वितरणः– उन्नत/प्रमाणित बीजों के प्रयोग से फसल उत्पादन मे 15–20 प्रतिशत की बढोत्तरी होती हैं। गेहूं एवं धान के उन्नत बीज पर रू0 1400 प्रति कुन्तल का अनुदान कृषकों को देय है। वर्ष 2016–17 में 3678 कुन्तल उन्नत प्रमाणित बीज का वितरण कृषकों को किया गया है व अनुदान का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में किया गया।

8. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजनाः– उन्नत कृषि तकनीकी के प्रचार–प्रसार हेतु इस योजना के अन्तर्गत फसल प्रदर्शन, कृषक गोष्ठी, कृषक प्रशिक्षण व कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य आदि के क्षेत्र में प्रगतिशील कृषकों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार वितरित कर अन्य कृषकों को उन्नत कृषि तकनीकी अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः— राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि, नलकूप उद्यान, पशुपालन, सिंचाई एवं मत्स्य विभाग की योजनाएं/कार्यमद वित्त पोषित हैं। वर्ष 2016—17 के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नवत् हैः—

(इकाई धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	विभाग का नाम	परियोजनाओं का नाम	वित्तीय प्रगति					कार्यमद/गतिविधियों की भौतिक प्रगति						अभ्युक्ति
			वित्तीय लक्ष्य/लागत	उपलब्ध धनराशि	माह का व्यय	प्रगामी व्यय	प्रगामी व्यय का प्रतिशत्	कुल कार्यमद/गतिविधि	इकाई	भौतिक लक्ष्य	माह की प्रगति	प्रगामी प्रगति	प्रगामी प्रगति का प्रतिशत्	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	कृषि	आर.के.वी.वाई (एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम)	0.47	0.47	0.00	0.47	100.00	धान बीज वितरण	कु0	47	**0**	**47**	**100**	मूल्य का 50 प्रतिशत् अधिकतम 1000 रू0/प्रति कु0 की दर से अनुदान
			33.24	33.24	9.17	33.24	100.00	गेहूँ बीज वितरण	कु0	3324	**0**	**3324**	**100**	मूल्य का 50 प्रतिशत् अधिकतम 1000 रू0/प्रति कु0 की दर से अनुदान
		योगः—	33.71	33.71	9.17	33.71	100.00			-	-	-	-	
2	नलकूप	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-	-	-	-	
3	उद्यान	आर.के.वी.वाई	19.27	19.27	1.26	19.27	100.00	खरीफ—कददू वर्गीय सब्जियां रबी/जायद— पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर,लोकी,तुरई।	है0	101	**11**	**101**	**100**	
		आर.के.वी.वाई नॉन एन.एच.एम.	24.93	24.93	4.40	24.93	100.00	पुष्प उत्पादन	है0	**13**	-	**13**	**100**	
								मसाला उत्पादन	है0	**55**	-	**55**	**100**	
								मधुमक्खी पालन	सं0	**5**	**5**	**5**	**100**	
								मानव संसाधन विकास	सं0	**240**	**40**	**240**	**100**	
		योगः—	**44.20**	**44.20**	**5.66**	**44.20**	**100.00**	0			-	-	-	
4	पशुपालन	परियोजनाओं के संचालन हेतु	17.09	17.09	17.09	17.09	100.00	प्रयोगशाला निर्माण	सं0	**1**	-	-	-	
		परियोजनाओं के संचालन हेतु—ग्लैण्डर्स फार्सी	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	39—औषधी तथा रसायन	-	-	-	-	-	
			0.46	0.46	0.46	0.46	100.00	44—प्रशिक्षण हेतु यात्रा एंव अन्य व्यय	-	-	-	-	-	
		योगः—	18.55	18.55	18.55	18.55	100.00	0		-	-	-	-	
5	मत्स्य	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	कु0	-	-	-	-	.
		योगः—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		-	-	-	-	.
		महा योगः—	96.46	96.46	33.38	96.46	**100.00**	**-**		-		-	-	-

10. कृषि रक्षा रसायनों का वितरणः– रोगों एवं कीटों से फसलों की रक्षा हेतु अनुदानित दर पर कृषकों को कृषि रक्षा रसायनों का वितरण किया जाता है। जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु जैव रसायनों पर 75 प्रतिशत तथा अन्य रसायनों पर 50 प्रतिशत का अनुदान देय है।

11.फसल ऋण मोचन योजना

1– फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषक ही पात्र हैं।

2– 1 हेक्टेअर भूमि से कम वाले सीमान्त कृषक व 1 हेक्टेअर से 2 हेक्टेअर भूमि की सीमा तक के कृषक लघु कृषक कहलाते हैं।

3– फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों के जिनके द्वारा फसल ऋण दिनांक 31 मार्च, 2016 या इसके पूर्व ऋण प्रदाता संस्था से प्राप्त किया गया हो, राज्य सरकार 1 लाख रू0 धनराशि का ऋण मोचन प्रदान करेगी। ऋण मोचन की गणना के प्रयोजन हेतु दिनांक 31 मार्च, 2016 को बकाया (ब्याज सहित) से वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में कृषकों से प्राप्त प्रति भुगतान को घटा दिया जायेगा।

4– किसान भाईयों से निवेदन है कि उनके द्वारा जिन बैंक शाखाओं से फसल ऋण लिया गया है उस बैंक शाखा में तुरन्त जाकर अपने बैंक खाते को आधार नम्बर व मोबाईल नम्बर से जुड़वा लें, ताकि पात्र किसान भाईयों को तत्काल लाभ मिल सके। **बिना आधार नम्बर व मोबाईल नम्बर को खाते से लिंक कराये कृषकों को लाभ नहीं मिल सकेगा।**

5– योजना संबंधी तकनीकी समस्या के समाधान हेतु संबंधित बैंक शाखा प्रबन्धक जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (मो0नं0– 9411980569) से सम्पर्क करें। किसान भाई योजना से संबंधित किसी भी जानकारी/समस्या समाधान हेतु प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या – 9235629714 व तहसील स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष पर निम्नानुसार सम्पर्क करें।

तहसील दादरी दूरभाष संख्या– 9411863989

तहसील सदर दूरभाष संख्या– 9412485851

तहसील जेवर दूरभाष संख्या– 9773901899

12. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

फसलों में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात, भू–स्खलन, कीट रोग, बाढ़ आदि से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। जनपद के लिए अधिसूचित फसल खरीफ में धान, अरहर एवं रबी में गेंहू है। खरीफ फसलों हेतु कृषक द्वारा देय प्रीमियम धनराशि 02 प्रतिशत/रबी फसल हेतु 1.5 प्रतिशत तथा उद्यान/सब्जी फसलों के लिए 05 प्रतिशत है। जनपद के अधिसूचित बीमा कम्पनी, दी न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड है।

पात्रताः– अधिसूचित फसल बोने वाले समस्त कृषक

सम्पर्क सूत्रः– न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय जी0–22–23 प्रथम तल सै0 18 नौएडा का दूरभाष नं0 0120–24312609/2517394/2517395, मौ0 नं0 9999662995, जिला कृषि अधिकारी (9535629714), उप कृषि निदेशक (9235629561) ।

Website:- www.upagriculture.com

13. कृषि यंत्रीकरण/फार्म मशीनरी बैंक योजना

कृषि यंत्रीकरण योजना में कृषकों को रोटावेटर, पम्पसैट, सीड ड्रील व मल्टीक्रॉप थ्रेसर आदि यंत्रों पर अनुदान अनुमन्य है। अनुदान की अधिकतम दर प्रति कृषि यंत्र, रोटावेटर पर रू0 35000/पम्प सैट पर रू0 10000/सीड ड्रील पर रू0 12000/मल्टीक्रॉप थ्रेसर पर रू0 40000/ है।

फार्म मशीनरी स्वयं सहायता समूह/उपभोक्ता समूह/सहकारी समितियां/गन्ना सहकारी समिति/कृषक उत्पादन संघ तथा कम से कम 08 कृषकों वाले समूह लाभार्थी होंगे तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजनान्तर्गत परियोजना लागत रू0 10 लाख(अधिकतम) प्रति फार्म मशीनरी बैंक व देय अनुदान की दर अधिकतम 80 प्रतिशत या रू0 8 लाख होगा, जो केवल मशीनों/यंत्र की लागत पर देय होगा।

केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान की प्रकिया भारत सरकार की क्रेडिट लिंक बैंक इन्डेड सब्सिडी के अनुसार कियान्वित की जाएगी।

पात्रताः– कृषि यंत्रीकरण हेतु समस्त कृषक (लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता)
सम्पर्क सूत्रः– श्री साजिद गहलौत (योजना सहायक), मौ0 नं0 9312776654/उप परियोजना निदेशक मौ0 न0 (8851401016/जिला कृषि अधिकारी मौ0 न0 (9535629714), उप कृषि निदेशक (9235629561) ।
Website:- www.upagriculture.com

भूमि संरक्षण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर के द्वारा संचालित योजनाएंः–

1. खेत तालाब योजना वर्ष 2017–18 के उद्देश्यः–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति की बैठक दिनांक 09–06–16 में लिये गये निर्णय के क्रम में शासन द्वारा अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में 22×20×3 मी साईज के तालाब 50 प्रतिशत अनुदान पर बनाये जाने है जिसमें जनपद हेतु सन्दर्भित विकास खण्डों में 44 प्रत्येक विकास खण्ड में 22 खेत तालाब बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रति इकाई खेत तालाब की कुल लागत एक लाख पॉच हजार रू0 है। खेत तालाब हेतु कृषकों के चयन हेतु निम्न बिन्दु प्रमुख है–

1. सभी श्रेणी के कृषक इसके पात्र है लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अल्पसंख्यक एवं लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. खेत तालाब हेतु इच्छुक कृषकों के पास अपनी भूमि होनी चाहिये जिसमें तालाब खोदा जाना है।

3. लाभार्थी कृषक का पंजीकरण के साथ कृषक का अपनी भूमि में खेत तालाब निर्मित कराने का सहमति पत्र एवं खसरा खतौनी की प्रति भी अनिवार्यत उपलब्ध करानी होगी।

4. कृषक द्वारा खेत तालाब का निर्माण भूमि संरक्षण अधिकारी के तकनीकी दिशा–निर्देश में स्वयः कराना होगा।

5. कृषक अंश के रूप में कुल लागत का 50 प्रतिशत अंश कृषक को स्वयः वहन करना होगा। शेष धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषक के खाते में दो किस्तो में उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें प्रथम किस्त कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात एवं शेष धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में कार्य समाप्ति के उपरान्त विभागीय मापन/सत्यापन के बाद कृषक के खाते में डी0बी0टी के माध्यम से भेजी जायेगी।

6. लाभार्थी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर गिना जायेगा ।

नाबार्ड वित्त पोषित/आर0आई0डी0एफ0–23 वर्ष 2017–18 के उद्देश्यः

परियोजना का मूल उद्देश्य वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रो में नमी सरंक्षण एव जल अपवाह के संचयन सबंधी उपचारो द्वारा चयनित जलसमेंट क्षेत्र का विकास करना, एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ क्षेत्र के कृषको के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार करना है। योजना निम्नलिखित उद्देश्यों पर ध्यान केन्द्रित कर तैयार की गयी है।

1. जलसमेंट क्षेत्र आधार पर भूमि एवं जल सरंक्षण उपचारों को इस प्रकार नियोजित एवं निष्पादित करना कि क्षेत्र में सुखे की विभीषिका कम करा कर कृष उत्पादन एव उत्पादकता में वृद्धि हो सके।
2. जलसमेंट क्षेत्र के पारिस्थितकीय संतुलन को अनुकूलतम एव सुसंगत रखना।
3. स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर एव उपलब्ध करा कर मानव संसाधनों का विकास करना एवं जलागम वासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना।
4. क्षेत्र के लाभार्थियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार करना ।

गुणवत्ता पूर्ण लक्ष्य पूर्ति की रणनीति

1. योजनाओं के अन्तर्गत संचाालित विभिन्न कार्यमदों की अनुदान धनराशि का शत प्रतिशत डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में भुगतान होना।

2. योजनाओं के संबध में विभिन्न स्तरों (तहसील दिवस/किसान दिवस/मोबाईल न0/जनसुनवाई पोर्टल आदि) से प्राप्त जन शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित होना।

3. योजनाओं से संबधित क्षेत्रीय एवं कार्यालय स्टाफ को विभिन्न कार्यक्रमों के संबध में नियमित/निरन्तर रूप से प्रशिक्षण एवं दिशा निर्देश जारी करना तथा स्टाफ की नियमित मॉनिटरिंग करना।

4. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कृषि कार्यक्रमों का कृषकों के मध्य जागरूकता हेतु समाचार पत्रों /कृषि मेला/गोष्ठी आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार होना।

"खेती सबसे महत्वपूर्ण उद्यम है

क्योंकि यह राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि,

नैतिकता और खुशहाली में योगदान करता है।"

धन्यवाद